OFFICE NOTE SHEET

13.08.22 पत्रावली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.08.2022 में पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि पक्षकारान के मध्य आपस में सहमति है एवम् प्रकरण में पूर्व में प्रस्तुत इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी का रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को रास्ता स्वीकृत किये जाने पर अप्रार्थी को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। प्रार्थी को रास्ता की आवश्यकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 एमएल के खाता संख्या 14 मु.नं. 7 के किला नम्बर 2 व 9 में 2–2 बिस्वा रास्ता मंजूर किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि को तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है, उसको अपने स्तर से वितरित करेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.08.2022 में मजमेआम सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:25:09 IST
Reason: SelfAttested

श्रीनन्दलाल बाजिया
(सदस्य बैंच सं. 3)
तहसीलदार
श्रीगंगानगर

(अध्यक्ष बैंच सं.-03)
राष्ट्रीय लोक अदालत
श्रीगंगानगर